न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0 प्र0

R-3912-III/14 Rs. 20/-

732 28/X/14

लखनलाल ताम्रकार तनय श्री शिवप्रसाद ताम्रकार उम्र वर्ष निवासी ग्राम उचेहरा तहसील उचेहरा जिला सतना म0 प्र0..निगराकार

बनाम्

01–वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव उम्र वर्ष तनय सुन्दरलाल श्रीवास्तव निवासी उचेहरा तहसील उचेहरा जिला सतना म0 प्र0

02– शासन म0 प्र0 ....गैर निगराकारगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.09.14 प्र0 क्र0 1/अ 12/13–14 न्यायालय तहसीलदार उचेहरा जिला सतना म0 प्र0

....

श्री .... एड द्वारा आज दिनांक 28.X.14 के प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक________
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक________को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट,
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनय करता है :–

(क)– निगरानी के तथ्य :–

01– यहकि ग्राम पाल्हनपुर की आ0 नं0 544/2 रकवा 0.209 हे0 का गैर निगराकार क्र0 1 द्वारा सीमांकन किये जाने का आवेदन पत्र पेश किया गया। गैर निगराकार के सीमांकन किये जाने के आवेदन पत्र पेश होने पर निगराकार के सरहद्दी कास्तकार होने पर भी सीमांकन किये जाने की सूचना नहीं दी गई और ना ही अन्य सरहद्दी कास्तकारों को सीमांकन किये जाने की सूचना दी गई है। फिर भी रा0 नि0 मं0 उचेहरा ने निगराकार एवं मोहन तनय लल्ली चमार को बिना सूचना दिये ही मनमानी तरीका अपनाकर गैर निगराकार क्र0 1 के घर में बैठकर बिना नक्शा तरमीम किये ही सीमांकन का विधि विरुद्ध एवं मनमानी किया है। रा0 नि0 मं0 उचेहरा एवं हल्का पटवारी की मिली भगत गैर निगराकार से

क्रमांक 3635
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 13/11/14 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.-39/2/III/14 ...... जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-9-15	प्रकरण में आवेदक अभि० श्री रामनरेश मिश्रा उप०। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अभि० द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि आवेदक द्वारा सर्वे क्रमांक 544/2 रकबा 0.209 हे० के सीमांकन आवेदन पर सीमांकन कार्यवाही की गई। सीमांकन कार्यवाही के संबंध में आवेदक सहित किसी भी सरहदी काश्तकार को कोई सूचना नहीं दी गई तथा बिना नक्शा तरमीम के सीमांकन कार्यवाही एकपक्षीय की गई जो निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त करने का निवेदन किया गया साथ ही यह भी बताया गया कि सीमांकन पंचनामा तथा सम्पूर्ण कार्यवाही बाला बाला बिना स्थल पर पहुंचे ही की गई है। इसके अतिरिक्त वही तथ्य व्यक्त किये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें विचार में लिया जा रहा है। उक्त प्रस्तुत तर्कों एवं निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं के प्रकाश में अधीनस्थ तहसीलदार के सीमांकन प्राप्ति आदेश दिनांक 9-9-14 का अवलोकन किया गया तथा संलग्न सीमांकन कार्यवाही की छाया प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को सूचना पत्र जारी होना पाया गया है जिस पर आवेदक के नाम के सामने हस्ताक्षर करने से मना किया अंकित है सरहदी कृषक मोहन/कल्ली के भी सूचना पत्र पर हस्ताक्षर भी नहीं हैं उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों के अनुरूप सीमांकन की कार्यवाही परिलक्षित नहीं हो रही है जो निरस्त	

[कृ. प. उ.

R. 3919/III/14 सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का सीमांकन आदेश दिनांक 9.9.14 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि पटवारी अभिलेख एवं खसरे के अक्स नक्शा के अनुसार सीमांकन हेतु निवेदित सर्वे क्रमांक के सरहदी कृषकों तथा आवेदक को विधिवत सूचना पत्र जारी कर समस्त हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में सहज-न्याय की प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि अनुकूल सीमांकन की कार्यवाही तीन माह में पूर्ण करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) सदस्य	

M